



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 14.05.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली कोच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी की सम्पत्ती रखने के संबन्ध में अभियुक्तगण 1. निर्दोष राजपूत पुत्र चन्द्रपाल राजपूत 2. सुभाष राजपूत पुत्र विजय सिंह 3. वेद प्रकाश राजपूत पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम खरका थाना डकोर जपनद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 3,000/- रूपये (तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय एडीजे-प्रथम उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. निर्दोष राजपूत पुत्र चन्द्रपाल राजपूत 2. सुभाष राजपूत पुत्र विजय सिंह 3. वेद प्रकाश राजपूत पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम खरका थाना डकोर जपनद जालौन को धारा 411 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
हृदेश पाण्डेय



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहर्रिर हे0का0
महेन्द्र प्रताप सिंह



कोर्ट पैरोकार का0
राजकुमार